अध्याय-1

प्रस्तावना

अध्याय-1

1.1 प्रस्तावना

उत्तराखण्ड शासन के 60 विभागों के साथ-साथ 32 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सा क्षे उ) और 48 अन्य इकाइयों (स्वायत्त निकायों/ प्राधिकरणों, आदि) की लेखापरीक्षा, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है। विभागों और संबंधित इकाइयों के ब्योरे ***परिशिष्ट-1.1*** तथा उनका सार **तालिका-1.1** में दिया गया है।

तालिका-1.1: लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विभागों और इकाइयों का ब्योरा

विभागों की कुल संख्या	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा क्षे उ) की कुल संख्या	अन्य इकाइयों (स्वायत्त निकायों /प्राधिकरणों आदि) की कुल संख्या	सा क्षे उ और अन्य इकाइयों की कुल संख्या
60	32	48	80

1.2 लेखापरीक्षा आच्छादन

वर्ष 2021-22 के दौरान, उत्तराखण्ड शासन के 60 विभागों के अंतर्गत कुल 48,755 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में से 39 विभागों के अंतर्गत 503 इकाइयों की अनुपालन लेखापरीक्षा कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड द्वारा संपादित की गई। इस प्रतिवेदन में आठ विषयों- "उत्तराखण्ड आपदा रिकवरी परियोजना- अतिरिक्त वित्तपोषण", "प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना 2.0 (पी एम के वी वाई 2.0)", "प्रसाद और स्वदेश दर्शन योजना की केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत अवसंरचना का विकास", "कुम्भ मेला कार्यों का प्रबंधन और निष्पादन", "दस्तावेजों के गलत वर्गीकरण के कारण स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क की कम वसूली", "डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डी आई एल आर एम पी) के अंतर्गत आधुनिक अभिलेख कक्ष (एम आर आर) की स्थापना और उपयोग", "जी एस टी भुगतानों और विवरणी दाखिल करने पर विभाग की निगरानी" और "पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन उत्तराखण्ड लिमिटेड द्वारा परियोजना प्रबंधन" पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एस एस सी ए) और 15 अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर सम्मिलित हैं जो दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित 11 विभागों से संबंधित हैं।

1.3 संसाधन और अनुप्रयोग

राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ, वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 38,205 करोड़ की तुलना में वर्ष 2021-22 में ₹ 43,057 करोड़ थी। इसमें से 33 *प्रतिशत* कर राजस्व (₹ 14,176 करोड़) और छः *प्रतिशत करेत्तर* राजस्व (₹ 2,756 करोड़) के माध्यम से प्राप्त हुआ था। शेष 61 *प्रतिशत,* भारत सरकार से विभाज्य संघीय करों

में राज्य के हिस्से (₹ 9,906 करोड़) और सहायता अनुदान (₹ 16,219 करोड़) के रूप में प्राप्त हुआ था। वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक राजस्व प्राप्ति की प्रवृत्ति और उसके घटकों को **चार्ट-1.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट-1.1: राजस्व प्राप्तियों के घटकों की प्रवृत्ति

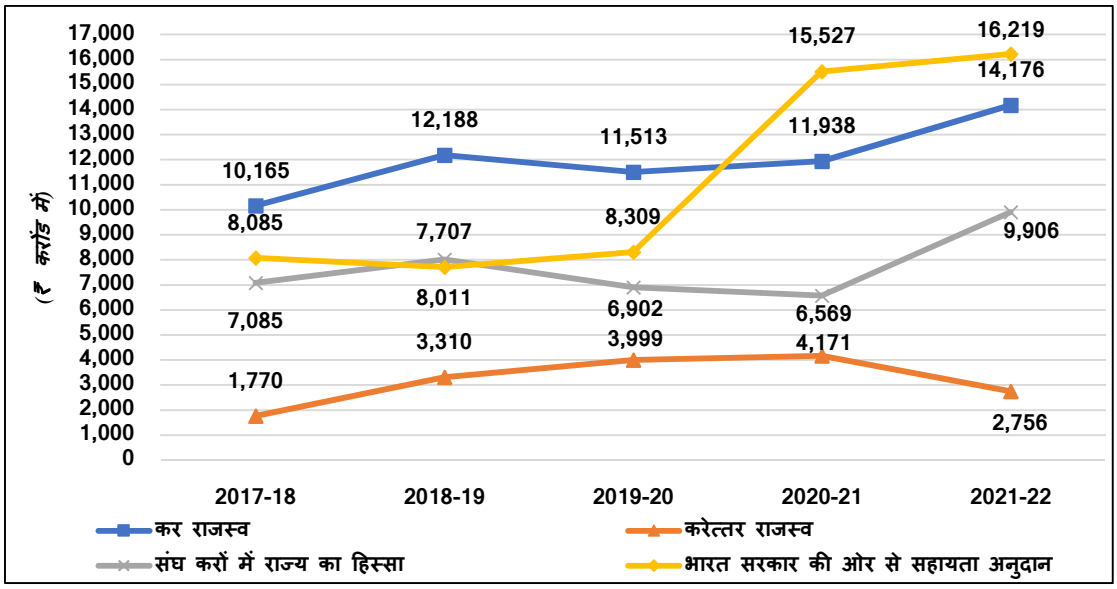

वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान राज्य का कुल व्यय ₹ 35,074 करोड़ से बढ़कर ₹ 46,810 करोड़ हो गया। वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान राजस्व व्यय, कुल व्यय का औसतन 84.02 *प्रतिशत* (2017-22 के दौरान 82.92 *प्रतिशत* से 85.57 *प्रतिशत* तक) था, जबकि इसी अवधि में पूंजीगत व्यय 14.10 *प्रतिशत* से 16.86 *प्रतिशत* के मध्य था। वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक कुल व्यय के घटकों की प्रवृत्ति को **चार्ट-1.2** में दर्शाया गया है।

चार्ट-1.2: कुल व्यय: इसके घटकों की हिस्सेदारी की प्रवृत्तियां (*प्रतिशत* में)

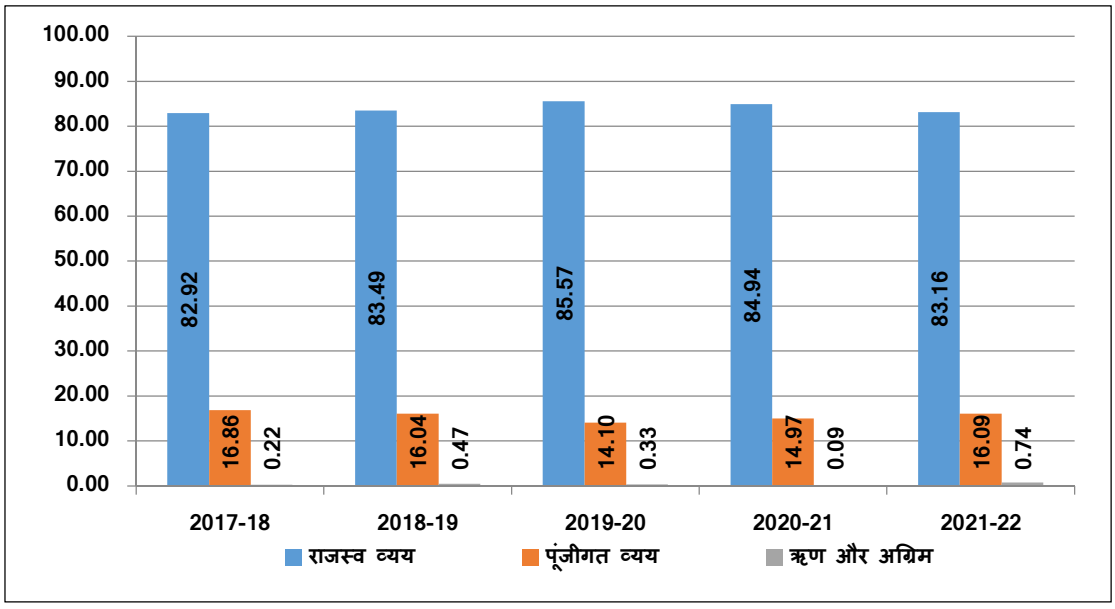

वर्ष 2021-22 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में 12.70 *प्रतिशत* (₹ 4,852 करोड़) की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। दूसरी ओर राजस्व व्यय में केवल 4.96 *प्रतिशत* (₹ 1,838 करोड़) की वृद्धि हुई। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान राज्य के राजस्व अधिशेष में वृद्धि हुई।

1.4 लेखापरीक्षा प्रक्रिया और लेखापरीक्षा पर सरकार की प्रतिक्रिया

लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षित इकाइयों/विभागों को लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर उनके विचार जानने के लिए चार चरण का अवसर प्रदान करती है, यथा

लेखापरीक्षा मेमो: स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षित इकाई के प्रमुख को लेखापरीक्षा के दौरान ही उत्तर देने के लिए निर्गत किया जाता है।

निरीक्षण प्रतिवेदन (नि प्र): लेखापरीक्षा पूर्ण होने के एक माह के भीतर जारी किया जाता है, जिसका उत्तर लेखापरीक्षित इकाई के प्रमुख द्वारा चार सप्ताह के भीतर दिया जाना होता है।

प्रलेख प्रस्तर: नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित करने से पूर्व उन विभागाध्यक्षों को, जिनके प्रभार में लेखापरीक्षित इकाइयां कार्य करती हैं, छः सप्ताह की अवधि के भीतर विभागीय मत प्रस्तुत करने हेतु निर्गत किया जाता है।

बहिर्गमन गोष्ठी: लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने से पूर्व लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर, शासकीय/विभागीय विचारों को जानने के लिए, विभागाध्यक्षों और राज्य सरकार को अवसर दिया जाता है।

इन सभी चरणों में लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षित इकाइयों/विभागाध्यक्षों/राज्य सरकार को खंडन एवं स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने का पूर्ण अवसर प्रदान करने का प्रयास करती है और जब विभागीय उत्तर प्राप्त नहीं होते हैं या संतोषजनक नहीं होते हैं, मात्र तभी लेखापरीक्षा टिप्पणियों को निरीक्षण प्रतिवेदन या नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, जैसा भी प्रकरण हो, में सम्मिलित करने के लिए कार्रवाई की जाती है। तथापि, अधिकांश प्रकरणों में, लेखापरीक्षित इकाइयां, समयबद्ध और संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत नहीं करती हैं, जैसा नीचे दर्शाया गया हैः

• *निरीक्षण प्रतिवेदनों के उत्तरों की स्थिति*

मार्च 2022 तक जारी निरीक्षण प्रतिवादनों (नि प्र) की विस्तृत समीक्षा से ज्ञात हुआ कि 10,090 नि प्र में शामिल 29,283 प्रस्तर 31 मार्च 2022 तक निस्तारण के लिए बकाया थे, जैसा नीचे **तालिका-1.2** में ब्योरा दिया गया है। इनमें से, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डी डी ओ) ने 247 नि प्र में सम्मिलित 406 प्रस्तरों के संबंध

में प्रारंभिक उत्तर प्रस्तुत किए, जबकि 9,843 नि प्र में सम्मिलित 28,877 प्रस्तरों के संबंध में डी डी ओ की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

तालिका-1.2: बकाया नि प्र और प्रस्तर

क्र.सं.	अवधि	बकाया नि प्र की संख्या *(प्रतिशत)*	बकाया प्रस्तरों की संख्या *(प्रतिशत)*
1	2021-22	274 (*2.72)*	886 (*3.03)*
2	एक वर्ष से अधिक लेकिन तीन वर्ष तक या कम	1,877 (*18.60)*	6,458 (*22.05)*
3	तीन वर्ष से अधिक लेकिन पाँच वर्ष तक या कम	1,635 (*16.20)*	5,297 (*18.09)*
4	पाँच वर्ष से अधिक	6,304 (*62.48)*	16,642 (*56.83)*
कुल		***10,090 (100)***	***29,283 (100)***

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना।

वर्ष 2020-21 के दौरान, विभागीय अधिकारियों के साथ लेखापरीक्षा समिति की 23 बैठकें (ए सी एम) आयोजित की गईं थीं, जिनमें तीन नि प्र और 98 प्रस्तरों का निस्तारण किया गया था। इसी प्रकार वर्ष 2021-22 में विभागीय अधिकारियों के साथ दो ए सी एम आयोजित की गयी थीं, जिसमें तीन नि प्र एवं 79 प्रस्तरों का निस्तारण किया गया था।

- ***लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2021-22 में सम्मिलित लेखापरीक्षा प्रस्तरों के उत्तरों की स्थिति***

वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2021-22 के लिए आठ विषयों, "उत्तराखण्ड आपदा रिकवरी परियोजना-अतिरिक्त वित्तपोषण", "प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना 2.0 (पी एम के वी वाई 2.0)", "प्रसाद और स्वदेश दर्शन योजना की केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत अवसंरचना का विकास", "कुम्भ मेला कार्यों का प्रबंधन और निष्पादन", "दस्तावेजों के गलत वर्गीकरण के कारण स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क की कम वसूली", "डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डी आई एल आर एम पी) के अंतर्गत आधुनिक अभिलेख कक्ष (एम आर आर) की स्थापना और उपयोग", "जी एस टी भुगतानों और विवरणी दाखिल करने पर विभाग की निगरानी", "पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन उत्तराखण्ड लिमिटेड द्वारा परियोजना प्रबंधन" पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एस एस सी ए) तथा 15 अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तरों, जो दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित 11 विभागों से संबंधित हैं, को संबंधित प्रशासनिक विभागों के मुख्य सचिवों/सचिवों को लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर उनके विचार जानने के लिए अग्रेषित किया गया था। लेखापरीक्षा और लेखा

विनियम, 2020 (विनियम, 2020) के विनियम 138 में प्रावधान है कि सरकार के संबंधित विभाग के सचिव निर्दिष्ट समय के भीतर प्रलेख प्रस्तर के उत्तर प्रस्तुत करेंगे। सात एस एस सी ए और 14 लेखापरीक्षा प्रस्तरों के संबंध में शासन के उत्तर/ प्रतिक्रियाएं प्राप्त हो गई हैं। अनुस्मारकों के बावजूद एक लेखापरीक्षा प्रस्तर और एक एस एस सी ए के संबंध में शासन का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

1.5 पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई

1.5.1 पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित लेखापरीक्षा प्रस्तरों के बकाया उत्तर

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन लेखापरीक्षा जांच की प्रक्रिया की सर्वोच्चता का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए, यह आवश्यक है कि इसे कार्यपालिका से उचित और समयबद्ध प्रतिक्रिया प्राप्त हो। अप्राप्त उत्तरों/व्याख्यात्मक टिप्पणियों की स्थिति नीचे **तालिका-1.3** में दी गई है।

तालिका-1.3: अप्राप्त उत्तरों की स्थिति

संयुक्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	राज्य विधानमण्डल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कुल निष्पादन लेखापरीक्षा (नि ले) और अनुपालन लेखापरीक्षा (अ ले) के प्रस्तर		नि ले /अ ले के प्रस्तरों की संख्या जिनके लिए उत्तर प्राप्त नहीं हुए	
		नि ले	अ ले	नि ले	अ ले
2013-14	03.11.2015	04	18	04	14
2014-15	17.11.2016	03	19	03	13
2015-16	02.05.2017	02	21	02	09
2016-17	20.09.2018	02	19	01	11
2017-18	10.12.2019	02	19	02	16
2018-19	06.03.2021	01	13	01	07
2019-20 एवं 2020-21	15.03.2023	01	21	01	20
योग		***15***	***130***	***14***	***90***

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना।

1.5.2 लोक लेखा समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा

वर्ष 2013-14 से वर्ष 2020-21 के दौरान, इन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में विभागों/ स्वायत्त निकायों से संबंधित 15 निष्पादन लेखापरीक्षा और 130 अनुपालन

लेखापरीक्षा प्रस्तरों को प्रतिवेदित किया गया था। इनमें से लोक लेखा समिति ने 12.41 *प्रतिशत* प्रस्तरों {18 प्रस्तरों (01 नि ले/17 अ ले)} को चर्चा के लिए लिया था। 31 मार्च 2022 तक लोक लेखा समिति में चर्चा की स्थिति का ब्योरा नीचे **तालिका-1.4** में दिया गया है।

तालिका-1.4: 31 मार्च 2022 तक पी ए सी द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा की स्थिति

स्थिति	वर्ष 2013-14 से 2020-21 के लिए गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राजस्व अनुभाग से संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के नि ले/वि ले/अ ले
लेखापरीक्षा प्रस्तरों की कुल संख्या	145(15 नि ले +130 अ ले)
पी ए सी द्वारा चर्चा के लिए लिया गया	18(01 नि ले +17 अ ले)
पी ए सी द्वारा की गई अनुशंसा	-
कृत कार्रवाई टिप्पणी (ए टी एन) प्राप्त हुई	41
विभाग द्वारा की गई कार्रवाई	-

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना।

1.5.3 सार्वजनिक उपक्रम समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा

वर्ष 2000-01 से 2021-22 के दौरान, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के 10 निष्पादन लेखापरीक्षा और 76 अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तरों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित किया गया था। इनमें से, सार्वजनिक उपक्रम समिति (सा उ स) ने 07 निष्पादन लेखापरीक्षा और 61 अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तरों को चर्चा के लिए लिया था। 31 मार्च 2022 तक सार्वजनिक उपक्रम समिति में चर्चा की स्थिति का ब्योरा नीचे **तालिका-1.5** में दिया गया है।

तालिका-1.5: 31 मार्च 2022 तक सा उ स द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा की स्थिति

स्थिति	वर्ष 2000-01 से 2021-22 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के नि ले/वि ले/अ ले
लेखापरीक्षा प्रस्तरों की कुल संख्या	86 (10 नि ले 76 अ ले)
सा उ स द्वारा लिखित उत्तर प्रस्तुत करने हेतु लिया गया	68 (07 नि ले + 61 अ ले)
सा उ स द्वारा की गई अनुशंसा	--
कृत कार्रवाई टिप्पणी (ए टी एन) प्राप्त हुई	--
विभाग द्वारा की गई कार्रवाई	--

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना।

1.6 इकाइयों के लेखों की लेखापरीक्षा की स्थिति

राज्य सरकार की इकाइयों के संबंध में, जिनके लेखों की लेखापरीक्षा, इन इकाइयों के शासकीय अधिनियमों/सरकारी आदेशों/भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार सी ए जी को सौंपी जाती है, उनके लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, सी ए जी

द्वारा तैयार किए जाते हैं और शासन द्वारा वार्षिक प्रतिवेदनों/लेखा के साथ राज्य विधानमण्डल में रखे जाते हैं।

- ***इकाइयों के लेखों को अंतिम रूप देने और प्रस्तुत करने में बकाया***

उत्तराखण्ड की 35 इकाइयों[1] के वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा सी ए जी को सौंपी गई थी। 30 सितम्बर 2022 तक, दो इकाइयों ने 2021-22 तक के अपने लेखों को अंतिम रूप देकर प्रस्तुत किया। जिन वर्षों के लिए वार्षिक लेखे बकाया हैं, उनकी स्थिति (सक्रिय या निष्क्रिय) ***परिशिष्ट-1.2*** में दी गयी है और उनका सार **तालिका-1.6** में दिया गया है।

तालिका-1.6: विभिन्न इकाइयों के लेखा का बकाया दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	इकाइयों की संख्या	इकाई सक्रिय है या निष्क्रिय है	वर्ष जिनके लिए लेखे बकाया हैं	बकाया लेखों की संख्या
1.	26	सक्रिय	2005-06 से 2021-22	89
2.	09	निष्क्रिय	1987-88 से 2021-22	203
कुल	***35***			***292***

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना।

1.7 राज्य विधानमण्डल में इकाइयों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के साथ वार्षिक प्रतिवेदनों/लेखों को पटल पर रखे जाने की स्थिति

31 दिसम्बर 2022 तक, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पृ ले प्र) के साथ वार्षिक प्रतिवेदनों/लेखों जिन्हें अभी राज्य विधानमण्डल के पटल पर रखा जाना शेष है, का ब्योरा नीचे **तालिका-1.7** में दिया गया है।

तालिका-1.7: पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के साथ वार्षिक प्रतिवेदन/लेखा जिन्हे अभी राज्य विधानमण्डल के पटल पर रखा जाना है, का ब्योरा को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	इकाइयों का नाम	वह वर्ष जब तक राज्य विधानमंडल के पटल पर पृ ले प्र के साथ वार्षिक प्रतिवेदन/लेखा रखे गए	राज्य विधानमंडल के पटल पर रखे न जाने वाले पृ ले प्र सहित वार्षिक प्रतिवेदन/लेखा की स्थिति		पृ ले प्र सहित वार्षिक प्रतिवेदन/लेखा को पटल पर रखे न जाने का कारण
			पृ ले प्र सहित वार्षिक प्रतिवेदन/लेखा का वर्ष	सरकार/इकाइयों को पृ ले प्र जारी करने की तिथि	
1.	उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (उ वि नि आ)	2019-20	2020-21	09.12.2021	उ वि नि आ द्वारा कारण प्रस्तुत नहीं किए गए
2.	उत्तराखण्ड जल संस्थान	2015-16	2016-17	06.08.2018	उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा कारण प्रस्तुत नहीं किए गए
			2017-18	06.03.2019	
			2018-19	26.02.2021	

[1] बत्तीस एस पी एस ई, दो राज्य स्वायत्त निकाय और एक अर्ध-न्यायिक निकाय।

क्र. सं.	इकाइयों का नाम	वह वर्ष जब तक राज्य विधानमंडल के पटल पर पृ ले प्र के साथ वार्षिक प्रतिवेदन/लेखा रखे गए	राज्य विधानमंडल के पटल पर रखे न जाने वाले पृ ले प्र सहित वार्षिक प्रतिवेदन/लेखा की स्थिति		पृ ले प्र सहित वार्षिक प्रतिवेदन/लेखा को पटल पर रखे न जाने का कारण
			पृ ले प्र सहित वार्षिक प्रतिवेदन/लेखा का वर्ष	सरकार/इकाइयों को पृ ले प्र जारी करने की तिथि	
3.	उत्तराखण्ड पेय जल संसाधान विकास एवं निर्माण निगम	2018-19	-	-	-
4.	उत्तराखण्ड परिवहन निगम	2009-10	2010-11	21.11.2014	उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा कारण प्रस्तुत नहीं किए गए
			2011-12	21.11.2014	
			2012-13	01.12.2014	
			2013-14	10.02.2016	
			2014-15	10.02.2016	
			2015-16	17.07.2017	
5.	उत्तराखण्ड वन विकास निगम	2013-14	2014-15	16.08.2017	उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा कारण प्रस्तुत नहीं किए गए
			2015-16	16.08.2017	
			2016-17	17.05.2018	
			2017-18	24.04.2019	
			2018-19	27.10.2020	
6.	उत्तराखण्ड राज्य भंडारण निगम	-	वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक के लेखा 21 फरवरी 2022 को प्राप्त हुए जिनको 01 जून 2022 को अंतिम रूप दिया गया। इसके कारण निगम, मार्च 2022 तक इनको विधायिका के समक्ष नहीं रख सका। हालांकि, उत्तराखण्ड राज्य भंडारण निगम के प्रबंधन के साथ चर्चा के अनुसार इसे शीघ्र ही प्रस्तुत किया जाएगा।		
7.	उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा)	2016-17	2017-18	12.11.2021	उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा कारण प्रस्तुत नहीं किए गए
			2018-19	26.02.2021	
8.	उत्तराखण्ड भूसम्पदा नियामक प्राधिकरण		2018-19	22.01.2020	उत्तराखण्ड भूसम्पदा नियामक प्राधिकरण द्वारा कारण प्रस्तुत नहीं किए गए
			2019-20	28.05.2021	

1.8 लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर वसूली

लेखापरीक्षा के दौरान, विभिन्न विभागों/ इकाइयों में 33 प्रकरणों में इंगित ₹ 275.57 करोड़ की वसूली को संबंधित विभागों/इकाईयों द्वारा स्वीकार किया गया

था। इसके सापेक्ष, तीन प्रकरणों में ₹ 0.02 करोड़ (0.007 *प्रतिशत)* की वसूली की गई जैसा **तालिका-1.8** में ब्यौरा दिया गया है।

तालिका-1.8: लेखापरीक्षा द्वारा इंगित और विभागों/इकाइयों द्वारा स्वीकार/प्रभावी की गई वसूली

(₹ करोड़ में)

विभाग	वसूलियों का विवरण	लेखापरीक्षा में इंगित और विभाग/इकाई द्वारा स्वीकार की गई वसूली		वसूली की गई	
		प्रकरणों की संख्या	सम्मिलित धनराशि	प्रकरणों की संख्या	सम्मिलित धनराशि
2021-22					
राज्य कर	विलम्ब कर अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न लगाना और आई टी सी से संबंधित प्रकरण	17	2.36	-	-
वन	अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा रॉयल्टी की वसूली न करना तथा देय प्रतिभूति राशि जमा न करना	07	5.47	-	-
यू के एफ डी सी	राजस्व की वसूली न होना	03	0.35	-	-
राज्य आबकारी	शराब की दुकानों का प्रबंधन न होने के कारण राजस्व की वसूली न होना तथा निर्धारित देय राजस्व को विलंब से जमा करने के परिणामस्वरूप ब्याज की लंबित वसूली	02	267.13	-	-
सिंचाई	ठेकेदार से अर्थदण्ड की वसूली न होना	01	0.24	-	-
आर डब्ल्यू डी	वेतन	01	0.0116	01	0.0075
ग्रामीण विकास	वेतन	01	0.0027	01	0.0027
पेयजल	रॉयल्टी	01	0.0095	01	0.0095
कुल		***33***	***275.57***	***03***	***0.020***

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के अनुपालन प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु मुख्यालय को भेजे गये 16 प्रलेख प्रस्तरों में से राजस्व विभाग से संबंधित एक प्रलेख प्रस्तर के सापेक्ष ₹ 5.16 लाख की वसूली की गई है। तदनुसार, इस प्रतिवेदन में 15 प्रलेख प्रस्तर शामिल किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, ₹ 32.71 लाख की आपत्ति की गई राशि के सापेक्ष डीलर द्वारा ₹ 29.79 लाख जमा किए गए हैं जैसा **प्रस्तर-3.13** में उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त, जी एस टी

भुगतान और रिटर्न फाइलिंग पर विभाग की निगरानी पर एस एस सी ए से संबंधित राज्य कर विभाग से प्राप्त उत्तरों के अनुसार, ₹ 8.88 करोड़ जमा किए गए हैं।

1.9 निष्कर्ष

राज्य सरकार के अधिकांश विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों ने लेखापरीक्षा को निरीक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रस्तरों के प्रारंभिक उत्तर लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए थे। लोक लेखा समिति द्वारा केवल 12.41 *प्रतिशत* प्रस्तरों को चर्चा हेतु ले सकी। अधिकांश राज्य इकाइयों के वार्षिक लेखे को तैयार करने हेतु अत्यधिक बकाया थे। इकाइयों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के साथ वार्षिक प्रतिवेदन/ लेखे को भी राज्य विधानमंडल के पटल पर रखा नहीं गया था। विभाग/ इकाइयां लेखापरीक्षा द्वारा इंगित वसूलियों का केवल 0.007 *प्रतिशत* ही वसूल कर सकी। यह सब शासन में जवाबदेही और पारदर्शिता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है और इसलिए यह चिंता का विषय है।